न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास – डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या–116 / 2020
जी.सी..एम.एस.पोर्टल संख्या–2020 / 00147

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
जितेन्द्र जाखड़ पुत्र धर्मेन्द्रसिंह जाखड़ जाट निवासी खजवाना, तहसील मूण्डवा जिला नागौर, राज.		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, नागौर

उपस्थिति–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री राधेश्याम सांगवा।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक श्री रामजीवन बेनीवाल।

निर्णय **दिनांक–** 01/03/2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पारित प्रकरण संख्या 48 / 2020 निर्णय दिनांक 06.07.2020 के विरूद्ध यह अपील पेश की है। अपील के मयाद प्रार्थना मय शपथ पत्र पेश किया। अपील तावे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।
2. मयाद के बिन्दु पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने मयाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि प्रार्थी अपीलांट को उक्त निर्णय जैर अपील की जानकारी दिनांक 30.07.2020 को नकलो का आवेदन पेश करके दिनांक 31.07.2020 को प्रमाणित प्रतियां लेने पर हुई जिससे निर्णय के विरूद्व अपील करने की कानूनी राय मिलने पर वांछित दस्तावेजात इकट्ठे करके अपील की तैयारी करके अधिवक्ता को सारे हालात बताकर दिनांक 5.6.2020 को सायं तक अपील तैयार करवाई व बिना किसी देरी के यह अपील पेश की है जो जानकारी की तारीख से अन्दर मियाद है मियाद में शुमार किया जाना न्यायोचित होने का कथन करते हुए न्याय हित में देरी माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया।
3. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में किये गये कथनों को हूबहू दोहराते हुऐ बहस में कथन किया कि अपीलांट जरिये प्राधिकार पत्र संख्या 1356 / 2017 से गांव खजवाना में उचित मूल्य दुकान पोश मशीन कोड नम्बर 30065 के जरिये कार्यरत रहा है तथा अपीलांट ने सदैव पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी से प्राधिकार पत्र की शर्तो के अनुसार उचित मूल्य दुकान का संचालन करता रहा है जिससे किसी भी उपभोक्ता / राशन कार्डधारी को कोई शिकायत नहीं रही थी व नियमानुसार दुकान संचालित करता रहा है। कालान्तर में दिनांक 11.4.2020 को प्रवर्तन निरीक्षक श्री रामजीवण बेनीवाल ने अपीलांट की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण करना बताकर रिपोर्ट तैयार कर जिला रसद अधिकारी नागौर के कार्यालय में पेश की जिसमें अपीलांट के विरूद्व यह आक्षेप लगाये गये कि उचित मूल्य दुकान पर सूचना पट्ट व अन्य सूचनाओ का अंकन नहीं पाया गया, वक्त निरीक्षण दुकान व गोदाम का नक्शा मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किया, वक्त निरीक्षण दुकान संचालक ने बताया कि उसके द्वारा बाईरिजन व्यवस्था से वितरण नहीं किया गया किन्तु ऑनलाईन चेक करने पर पाया गया कि पोश मशीन संख्या 30065 द्वारा मार्च में 99.80 क्विंटल गेहूं का बाईरिजन व्यवस्था का वितरण किया हुआ है एवं इस संबंध में रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया इसलिए दुकानदार द्वारा 99.80 क्विंटल गेहुं का दुरूपयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:29:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

किया गया व वक्त निरीक्षण अबेयन्स सूची में दर्ज परिवारो को वितरण नहीं करना बताया गया जबकि ऑन लाईन चेक करने पर 29 डीआरसी पर वितरण किया जाना पाया गया।

3(1)—उपरोक्त आक्षेप लगाकर कार्यालय रिपोर्ट करने पर कार्यालय से कारण बताओ नोटिस क्रमांक रसद/अभि./2020/597 दिनांक 16.4.2020 को प्रार्थी को जारी करने का पत्रावली में अंकन है। लेकिन उक्त नोटिस लोक डाउन की वजह से अपीलांट को यथाः समय प्राप्त नहीं हुआ जिससे अपीलांट जबाब पेश नहीं कर सका व दिनांक 16.04.2020 को ही नोटिस जारी करना बताया गया व जवाब लिए बिना ही उसी दिन दिनांक 16.4.2020 को प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया गया। जिसकी भी सूचना अपीलांट को काफी समय बाद मिली और कोविड–19 के चलते डिलर समय पर जवाब पेश नहीं कर सका व दिनांक 18.6.2020 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुआ था लेकिन कार्यालय में पूछने पर यह बताया गया कि कोविड–19 के कारण नियमित कार्य नहीं हो रहा है आपको नोटिस देकर आगे की पेशी बाबत् सूचित कर दिया जायेगा बाद में जवाब पेश कर देना जिससे अपीलांट आश्वस्त हो गया लेकिन उसके पश्चात् पेशी का कोई नोटिस दिये बिना ही या अन्य तरह से सूचना दिये बिना ही दिनांक 2.7.2020 को अप्रार्थी/डिलर की अनुपस्थिति दर्ज कर प्रकरण का निस्तारण करते हुए दिनांक 6.7.2020 को फैसला कर प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया।

3(2)—निर्णय/आदेश जैर अपील विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों, नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तो, तथ्यों, परिस्थितियो के विपरीत पारित किया होने से प्रथम दृष्टया निरस्त/ संशोधित किये जाने योग्य है।

3(3)—विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जिस अधिकारी द्वारा कथित कोई जांच प्रतिवेदन बना कर पेश किया जाता है उसके संबंध में डिलर की पूर्ण सुनवाई की जाना व डिलर को अपनी ओर से साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए व कोरोना वायरस महामारी के दौर में इतनी जल्दबाजी में बिना किसी अर्जेन्सी के ऐसा कठोरतम निर्णय किया जाना कतई आवश्यक नहीं होते हुए भी इन सभी को नजर अन्दाज करते हुए विद्वान जिला रसद अधिकारी ने निर्णय जैर अपील एकतरफा में पारित किया है। जांच अधिकारी व जिला रसद अधिकारी ने अपना टारगेट पूरा करने के लिए उक्त कथित जांच प्रतिवेदन बनाया व आनन फानन में ही उस पर निर्णय पारित कर दिया। जिससे निर्णय जैर अपील पारदर्शितापूर्ण नहीं होने व सम्पूर्ण कार्यवाही पुर्वाग्रह से ग्रसित होकर की होने से निर्णय जैर अपील विधि सम्मत निर्णय नहीं है, जो जैर अपील अपास्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

3(4)—रेस्पोडेन्ट ने आदेश जैर अपील पारित करते समय आवश्यक वस्तु अधिनियम व राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश–1976 के प्रावधानों की सही प्रकार से व्याख्या नहीं की है और उक्त आज्ञापक प्रावधानो की अवहेलना व नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो हस्तक्षेप योग्य है।

3(5)—अपीलांट के द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया था जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम या राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के किसी भी शर्त या निबन्धनों का उल्लंघन होता हो तथा अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र में बतायी गयी किसी भी शर्त का उल्लंघन अपीलांट द्वारा नहीं किया गया था ऐसी स्थिति में अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त करना किसी भी प्रकार से कानून सम्मत नहीं था और इस आधार पर भी आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

3(6)—अपीलांट के विरूद्व किसी भी उपभौक्ता को कोई शिकायत कभी नहीं रही थी, हमेशा नियमानुसार व प्राधिकार पत्र की शर्तो अनुसार सामग्री वितरण की जाती रही है कथित जांच प्रतिवेदन के समय भी कोई अनियमितता नहीं की गयी थी, जो आरोप लगाये गये है वह सत्य नहीं है। जहां तक अपीलांट/डिलर के विरूद्व [illegible] अधिकारी के आरोप है उनके संबंध में अप्रार्थी/डीलर का निवेदन है कि ग्राम खुज[illegible] में [illegible] डिलर के पद पर मेरी नियुक्ति दिनांक 4.5.2017 को हुई है जिसके अनुज्ञा पत्र संख्या [illegible] 2017 है कथित जांच के दिन उपभौक्ताओ को राशन वितरण करने के [illegible] भीड़ नहीं करने की सलाह होने के बावजूद मौके पर भीड़ अधिक होने के कारण [illegible] भूलवश सूचनाओ का अंकन नहीं कर सका लेकिन बाद में सूचना पट्ट पर सूचना का अंकन कर दिया गया था तथा उचित मूल्य दुकान पर सामग्री गेहूं, केरोसीन आदि वितरण करने के लिए सन 2016 से ऑन लाईन पोश मशीन पर फिंगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:29:24 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

प्रिंट लगा कर एवं फिंगर प्रिंट नहीं लगाने की स्थिति में उपभोक्ता को भामाशाह कार्ड में या आधार कार्ड में दर्ज मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. भेज कर तथा ओ.टी.पी. का पोश मशीन में इन्द्राज कर राशन सामग्री का वितरण किया जाता रहा है जिसकी फोटो प्रतियां अपील के साथ प्रस्तुत की गई है।

3(7)—अप्रार्थी/डिलर ने गांव खजवाना में ऑन लॉईन राशन सामग्री वितरण की है जो राशन कार्ड में इन्द्राज नहीं करने का कारण कोरोना संक्रमण हो जाने के डर से खाद्य विभाग राजस्थान सरकार ने आदेश जारी किये गये थे कि फिंगर प्रिंट न लगाकर केवल ओ.टी.पी. द्वारा राशन सामग्री वितरण की जावे इस कारण आदेश की पालना में वितरण किया गया था जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई थी। जहां तक 99.80 क्विंटल गेहुं के वितरण का प्रश्न है उस संबंध में निवेदन है कि बिना ओ.टी.पी. राशन सामग्री प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओ का रजिस्टर की फोटो प्रति अपील के साथ प्रस्तुत की हुई है। क्योंकि खाद्य विभाग के आदेश के अनुसार फिंगर प्रिंट उपभोक्ताओ से नहीं लगवा कर ओ.टी.पी. के माध्यम से सामग्री वितरण की गयी थी। उन उपभोक्तओ के पास सामग्री प्राप्त करते वक्त मोबाईल नहीं होने के कारण रजिस्टर में इन्द्राज करके उनके हस्ताक्षर लेकर राशन सामग्री नियमानुसार व वर्तमान परिस्थितियो के अनुसार सरकारी आदेशो की पालना में वितरण किया गया है।

3(8)—अप्रार्थी/डीलर द्वारा मार्च–2020 में 29 डी.आर.सी राशन कार्ड को गेहूं वितरण किया गया। यह वह परिवार है जो काफी समय से खाद्य सुरक्षा के तहत लाभार्थी होते हुए भी सामग्री प्राप्त नहीं कर रहे थे। मगर कोरोना वायरस और बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए जब उन्हें पता चला कि सरकार द्वारा खाद्य सामग्री वितरण की जा रही है व उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में राशन कार्ड चालू थे और जिन परिवारों को पता नहीं था कि वह खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत जुड़े हुए है व इनका राशन कार्ड चालू है उन 29 परिवारों को कोविड–19 तथा उस समय के हालात को देखते हुए मार्च 2020 में सामग्री वितरण कि गई, जिसकी फोटो प्रतियां अपील के साथ प्रस्तुत की गई है। 99.80 क्विंटल गेहूं मार्च 2020 में बिना ओ.टी.पी. राशन सामग्री प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं का रजिस्टर संधारण कर जिसकी फोटो प्रतियां अपील के साथ पेश की गई है। मैने गांव खजवाना में पोश मशीन नम्बर 30065 से मार्च माह 2020 में कोविड–19 के चलते ओ.टी.पी. के चलते वैकल्पिक व्यवस्था बाई रिजन के माध्यम से बिना ओ.टी.पी. रजिस्टर में इन्द्राज कर के 99.80 क्विंटल गेहूं का वितरण किया व साथ ही ओ.टी.पी. से 5 क्विंटल गेहूं का वितरण किया गया जो नियमानुसार व कोविड–19 के परिस्थितियो मौखिक एव सरकारी आदेशों के मध्य नजर किया गया था।

3(9)—अप्रार्थी /डीलर ने किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की थी न ही कोई पूर्व की शिकायत अप्रार्थी के विरूद्व रही थी। ग्राम पंचायत खजवाना के किसी भी उपभोक्ता द्वारा मुझ डीलर के विरूद्व कभी कोई असन्तोष नही जताया न कोई शिकायत की गई थी। डिलर ने इस तरह की वैश्विक माहमारी के दौर में भी अपने कर्तव्यों की पालना करते हुए समय समय पर उपभोक्ताओ को राशन सामग्री उपलब्ध करवाई है। इसके बावजूद इस दौर में भी डीलर का प्राधिकार पत्र आनन–फानन में निरस्त करने से डीलर के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात हुआ है। डीलर के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट गलत आधारो पर दर्ज करवाई गयी है। डीलर को कराण बताओ नोटिस दिनांक 16.04.2020 को जारी किया जाता है व बिना जवाब लिए इसी दिनांक 16.04.2020 को आदेश क्रमांक रसद/अभि/2020/589 के जरिए प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया जाता है। जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुसार विधि सम्मत नहीं है। एवं इतना ही नहीं सारी कारवाई एक ही दिन में करवाकर उसी दिन एफ.आई.आर. नम्बर 51 दिनांक 16.04.2020 को थाना कुचेरा में दर्ज कराई जाती है। जो स्पष्ट रूप से डीलर के विधि अधिकारो का हनन है। डीलर से यदि जवाब व साक्ष्य ली जाती जो ऐसा आदेश [illegible]रित नहीं हो सकता था, ऐसी स्थिति में डीलर से जबाब व साक्ष्य आदि ली जाकर [illegible] में [illegible] करते हुए रिव्यु के तहत पत्रावली पुनः रि–ओपन की जाना आवश्यक व विधि [illegible] है।

3(10)—अप्रार्थी/डीलर बेरोजगार युवक है। उसके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसी पर है। डीलर नियमानुसार राशन सामग्री का वितरण [illegible] आ रहा है। किसी प्रकार की अनियमितता नहीं कि है, फिर भी प्रतिवेदन के आक्षेपों का डीलर खुलासा जबाब देने को तैयार है। गांव के उपभोक्ताओं के बयान भी नहीं लिए गए है। जो राशन कार्ड ऑनलाईन थे उन्ही को राशन सामग्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:29:24 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

वितरण कि गई है तथा खाद्य सुरक्षा से जुडे व कार्डधारियों को ही वितरण किया गया है। इसलिए डीलर को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्याय संगत है।

3(11)—अपीलांट के विरूद्व कोई मामला नहीं बनता है। अपीलांट के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत किसी भी उपभोक्ता/सरपंच या अन्य नागरिक की नहीं थी जिससे यह साबित हो कि अपीलांट द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम या उसके तहत बने नियमों का उल्लंघन किया गया हो। अपीलांट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो व निबंधनों की पालना करते हुए विधि अनुसार कार्य किया जाता रहा था। अपीलांट द्वारा उचित मूल्य दुकानदार के रूप में कार्य पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से किया जाता रहा था। फिर भी कोई शिकायत थी तो अपीलांट से साक्ष्य जबाब व इस संबंध में शपथ पत्र लेकर उसका प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना न्यायोचित होते हुए भी उसे निरस्त करने की भारी भूल की है। इस तरह का कठोरतम निर्णय पारित नहीं करके अपीलांट को आवश्यक हिदायत देकर या आवश्यक हो तो आईन्दा एसी शिकायत नहीं होने बाबत बंद पत्र या अंडर टेंकिग/शपथ पत्र लेकर प्राधिकार पत्र बहाल करना न्याय संगत था व है। मगर ऐसा नहीं कर के सरसरी आधारो पर एकतरफा कार्यवाही कर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है। जिससे भी आदेश संशोधित/ परिवर्तित/निरस्त किये जाने योग्य है। इस संबंध मे न्यायालय हाजा द्वारा जो भी शर्ते अपीलांट पर अधिरोपित की जायेगी अपीलांट अक्षरशः पालना करने को तैयार है।

3(12)—उचित मूल्य दुकानदार द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर सर्व प्रथम जांच अधिकारी द्वारा इस संबंध में बनी वितरण कमेटी द्वारा जांच कर उस कमेटी के सदस्यो द्वारा पूछताछ कर उनके बयान लेकर उसके पश्चात दुकानदार द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर उक्त कमेटी के बयानो को मध्य नजर रखते हुए उचित मूल्य दुकानदार को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर बाद में दोषी पाये जाने पर उक्त प्राधिकार पत्र निरस्ती की कार्यवाही की जा सकती है। मगर प्रकरण हाजा में ऐसी कमेटी द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत उक्त दुकानदार अपीलांट के विरूद्व नहीं है न ही जांच अधिकारी ने ऐसी कमेटी के सदस्यो के बयान ही लिये है न ही किसी तरह से पूछताछ की है केवल मात्र पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एकतरफा कार्यवाही कर अपीलांट को दोषी बता कर निर्णय पारित करवाया है व अब विज्ञप्ति जारी कर आनन फानन में नया डिलर नियुक्त किये जाने की तैयारी में है, जो विधि सम्मत नहीं होने से भी निर्णय जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

3(13)—हस्तगत प्रकरण के संबंध में श्री रामजीवन प्रवर्तन अधिकारी रसद विभाग नागौर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध के संबंध में पुलिस थाना कुचेरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 51/2020 पेश की गई, जिसमें पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान नतीजा एफ.आर. संख्या 61 दिनांक 30.11.2020 अपीलान्ट के विरूद्ध मामला अदम वकु (गलत फहमी) में कता किया जाकर स्वीकृति हेतु न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के न्यायालय में पेश किया है। इस प्रकार पुलिस द्वारा अपने अनुसंधान में अपीलान्ट के विरूद्ध किसी भी प्रकार से मामला नहीं बनने कारण न्यायालय में एफ0आर0 अदम वकु (गलत फहमी) स्वीकृति हेतु पेश कर दिये जाने का कथन करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी, नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 48/20 राजस्थान सरकार बनाम जितेन्द्र जाखड़ में पारित आदेश/निर्णय जैर अपील दिनांक 6.7.2020 को अपास्त/संशोधित/ निरस्त करने व अपीलांट के पक्ष में जारी प्राधिकार पत्र को बहाल करने अन्य अनुतोष जो भी लाभार्थ अपीलांट हो प्रदान कराने का निवेदन किया।

4—प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में कथन किया कि प्रकरण में दिनांक 11.04.2020 को अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकानदार ग्राम खजवाना तहसील मूण्डवा की मौके पर अपीलान्ट को बुलाकर निरीक्षण एव [illegible] गई, जिसके आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या–48/2020 दर्ज कर [illegible] के कारण बताओं नोटिस दिनांक 16.04.2020 जारी किया गया, जिसके अनुसार उचित मू[illegible] दुकान पर सूचना पट्ट व अन्य सूचनाओं का अंकन नहीं पाया। वक्त निरीक्षण दुकान तथा गोदाम [illegible] मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किया। वक्त निरीक्षण अपीलान्ट ने बताया कि उसके द्वारा बाई[illegible]न व्यवस्था से वितरण नहीं किया गया किन्तु ऑनलाईन चैक करने पर पाया की पोश मशीन संख्या–30065 द्वारा माह मार्च में 99.80 क्विं गेहूँ का बाईरिजन व्यवस्था का वितरण किया हुआ है एवं इस सबंध में अपीलान्ट द्वारा रजिस्टर का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:29:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

संधारण भी नहीं किया एवं अपीलान्ट द्वारा 99.80 क्विं गेहूँ का दुरूप्योग किया गया। वक्त निरीक्षण अपीलान्ट द्वारा अबेयन्स सूची में दर्ज परिवारों को वितरण नहीं करना बताया गया जबकि ऑन लाईन चैक करने पर 29 डीआरसी पर वितरण किया जाना पाया गया। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की र्श संख्या 5,8, व 11 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो कि दण्डनीय अपराध है।

4(1)—उक्त विभागीय प्रकरण के सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय में तारीख पेशी दिनांक 18.06.2020 पर अपीलान्ट स्वंय ने उपस्थित होकर जबाब हेतु अवसर चाहा, परन्तु आगामी पेशी 02.07.2020 को अपीलान्ट अनुपस्थित रहा, ततपश्चात तारीख पेशी दिनांक 06.07.2020 को भी अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने पर निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो पूर्णतया सही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जबाब, साक्ष्य व सुनवाई इत्यादि का द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया, परन्तु अपीलान्ट जानबूझ कर अनुपस्थित रहा है।

4(2)—अपीलान्ट ने स्वंय न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत अपील में यह स्वीकार किया है कि मौके पर भीड़ अधिक होने के कारण व भूलवश सूचनाओं का अंकन नहीं कर सका लेकिन बाद में सूचना पट्ट पर सूचना का अंकन कर दिया गया था। इसके अलावा दुकान तथा गोदाम नक्शा मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं करने के आरोप के संबंध में अपीलान्ट द्वारा कोई कथन अपनी अपील में नहीं किया गया है।

4(3)—अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप कि वक्त निरीक्षण अपीलान्ट ने बताया कि उसके द्वारा बाईरिजन व्यवस्था से वितरण नहीं किया गया किन्तु ऑनलाईन चैक करने पर पाया की पोश मशीन संख्या–30065 द्वारा माह मार्च में 99.80 क्विं गेहूँ का बाईरिजन व्यवस्था का वितरण किया हुआ है एवं इस सबंध में अपीलान्ट द्वारा रजिस्टर का संधारण भी नहीं किया एवं अपीलान्ट द्वारा 99.80 क्विं गेहूँ का दुरूप्योग किया गया। अपीलान्ट द्वारा इस संबंध में नोन ओटीपी रजिस्टर राशन वितरण रजिस्टर की प्रतियां पेश की है, प्रथमतः अपीलान्ट द्वारा वक्त निरीक्षण उक्त मूल रजिस्टर क्यों नहीं पेश किया, इसका कोई सन्तोषजनक कारण नहीं बताया है, इससे स्पष्ट है कि उक्त रिकार्ड अपीलान्ट द्वारा उक्त आरोप से बचने के लिए सोच विचार कर बाद में तैयार किया गया है, जो विश्वसनीय नहीं है।

4(4)—वक्त निरीक्षण अपीलान्ट द्वारा अबेयन्स सूची में दर्ज परिवारों को वितरण नहीं करना बताया गया जबकि ऑन लाईन चैक करने पर 29 डीआरसी पर वितरण किया जाना पाया गया। उक्त संबंध में अपीलान्ट ने अपील में कथन किये है कि अपीलान्ट द्वारा मार्च–2020 में 29 डी.आर.सी. राशन कार्ड को गेहूँ वितरण किया गया। यह वह परिवार है जो काफी समय से खाद्य सुरक्षा के तहत लाभार्थी होते हुए भी सामग्री प्राप्त नहीं कर रहे थे। मगर कोरोना वायरस और बिगड़ते हालात हो देखते हुए जब उन्हे पता चला की सरकार द्वारा खाद्य सामग्री वितरण की जा रही है व उनके राशन कार्ड चालू है उन 29 परिवारों को कोविड–19 तथा उस समय के हालात को देखते हुए मार्च 2020 में सामग्री वितरण की गई है। उक्त संबंध में भी अपीलान्ट द्वारा डीआरसी राशन वितरण रजिस्टर की प्रति पेश की है। जबकि अपीलान्ट द्वारा मौके पर दौराने जॉच अपने शपथ बयान दिनांक 11.04.2020 में कथन किया है कि–"मेरे द्वारा अबेयेन्स डीआरसी जो कि मेरी एफ.पी. एस. (उचित मूल्य दुकान) पर पिछले एक वर्ष से नहीं आ रहे है। उनके डीआरसी पर मेरे द्वारा उनको किसी प्रकार की सामग्री गेहूँ नहीं दिया गया है" जबकि ऑन लाईन रिकार्ड के अनुसार अपीलान्ट की पोश मशीन संख्या 30065 के द्वारा 29 डी.आर.सी. राशन कार्ड को गेहूँ वितरण किया जाना रिकार्ड से साबित है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा उक्त डीआरसी राशन वितरण रजिस्टर वक्त निरीक्षण/जॉच क्यों नहीं [illegible] में अपीलान्ट द्वारा कोई सन्तोषजनक कारण नहीं बताया है, उक्त रिकार्ड अपीलान्ट [illegible] आरोप से बचने के लिए सोच विचार कर बाद में तैयार किया गया है जो [illegible]

4(5)—हस्तगत प्रकरण के संबंध में अपीलान्ट के [illegible] आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध के संबंध में [illegible] थाना कुचेरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 51/2020 पेश की गई, जिसमें पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान नतीजा एफ.आर. संख्या 61 दिनांक 30.11.2020 अपीलान्ट के विरूद्ध मामला अदम वकु (गलत फहमी) में कता किया जाकर स्वीकृति

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:29:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

हेतु पेश करने को लेकर वकील अपीलान्ट का कथन है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा न्यायालय में मामला अदम वकु (गलत फहमी) में कता किया जाकर स्वीकृति हेतु करने का कथन सही है, परन्तु मा0 न्यायालय द्वारा उक्त एफ.आर. स्वीकृत की जा चुकी हो, के संबंध में वकील अपीलान्ट ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। पुलिस द्वारा एफ.आर. पेश कर देने मात्र के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित नहीं होने का कथन करते हुए प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया।

5–उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 11.04.2020 को अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकानदार ग्राम खजवाना तहसील मूण्डवा की मौके पर अपीलान्ट को बुलाकर निरीक्षण एवं जॉच की गई, जिसके आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या–48/2020 दर्ज कर अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस क्रमांक–597 दिनांक 16.04.2020 जारी किया गया, जिसके अनुसार उचित मूल्य दुकान पर सूचना पट्ट व अन्य सूचनाओं का अंकन नहीं पाया। वक्त निरीक्षण दुकान तथा गोदाम नक्शा मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किया। वक्त निरीक्षण अपीलान्ट ने बताया कि उसके द्वारा बाईरिजन व्यवस्था से वितरण नहीं किया गया किन्तु ऑनलाईन चैक करने पर पाया की पोश मशीन संख्या–30065 द्वारा माह मार्च में 99.80 क्विं गेहूँ का बाईरिजन व्यवस्था का वितरण किया हुआ है एवं इस सबंध में अपीलान्ट द्वारा रजिस्टर का संधारण भी नहीं किया एवं अपीलान्ट द्वारा 99.80 क्विं गेहूँ का दुरूप्योग किया गया। वक्त निरीक्षण अपीलान्ट द्वारा अबेयन्स सूची में दर्ज परिवारों को वितरण नहीं करना बताया गया जबकि ऑन लाईन चैक करने पर 29 डीआरसी पर वितरण किया जाना पाया गया। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की र्श संख्या 5,8, व 11 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो कि दण्डनीय अपराध है।

5(1)–उक्त विभागीय प्रकरण के सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय में तारीख पेशी दिनांक 18.06.2020 पर अपीलान्ट स्वंय ने उपस्थित होकर जबाब हेतु अवसर चाहा, परन्तु आगामी पेशी 02.07.2020 को अपीलान्ट अनुपस्थित रहा, तत्पश्चात तारीख पेशी दिनांक 06.07.2020 को भी अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने पर निर्णय जैर अपील पारित किया जो पूर्णतया विधि सम्मत है। अपीलान्ट को जबाब साक्ष्य व सुनवाई इत्यादि का अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। अपीलान्ट जानबूझ कर अनुपस्थित रहा है।

5(2)–अपीलान्ट ने स्वंय न्यायालय हाजा के समक्ष अपील में स्वीकार किया है कि मौके पर भीड़ अधिक होने के कारण व भूलवश सूचनाओं का अंकन नहीं कर सका लेकिन बाद में सूचना पट्ट पर सूचना का अंकन कर दिया गया था। अपीलान्ट के उक्त कथन से स्पष्ट कि दुकान पर सूचना पट्ट व अन्य सूचनाओं का अंकन वक्त निरीक्षण नहीं पाया गया था। इसके अलावा दुकान तथा गोदाम नक्शा मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं करने के आरोप के संबंध में अपीलान्ट द्वारा कोई कथन अपनी अपील में नहीं किया गया है।

5(3)–अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप कि वक्त निरीक्षण अपीलान्ट ने बताया कि उसके द्वारा बाईरिजन व्यवस्था से वितरण नहीं किया गया किन्तु ऑनलाईन चैक करने पर पाया की पोश मशीन संख्या–30065 द्वारा माह मार्च में 99.80 क्विं गेहूँ का बाईरिजन व्यवस्था का वितरण किया हुआ है एवं इस सबंध में अपीलान्ट द्वारा रजिस्टर का संधारण भी नहीं किया एवं अपीलान्ट द्वारा 99.80 क्विं गेहूँ का दुरूप्योग किया गया। अपीलान्ट द्वारा इस संबंध में नोन ओटीपी रजिस्टर राशन वितरण रजिस्टर की प्रतियां पेश की है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि **अपीलान्ट द्वारा** वक्त निरीक्षण उक्त मूल रजिस्टर क्यों नहीं पेश किया, इसका कोई सन्तोषजनक कारण नहीं बताया है, इससे स्पष्ट है कि उक्त नोन ओटीपी रजिस्टर राशन वितरण रजिस्टर की प्रतियां जो पेश की गई है वह अपीलान्ट द्वारा उक्त आरोप से बचने के लिए सोच विचार कर बाद में तैयार की जाकर पेश की गई है, जो विश्वसनीय नहीं है।

5(4)–वक्त निरीक्षण अपीलान्ट द्वारा अबेयन्स सूची में दर्ज परिवारों को वितरण नहीं करना बताया गया जबकि ऑन लाईन चैक करने पर 29 डी.आर.सी. पर वितरण किया जाना पाया गया। उक्त संबंध में अपीलान्ट ने अपील में कथन किये है। अपीलान्ट द्वारा मार्च–2020 में 29 डी.आर.सी. राशन कार्ड को गेहूँ वितरण किया गया। यह वह परिवार है जो काफी समय से खाद्य सुरक्षा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar
Date: 2021.04.07 16:29:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

तहत लाभार्थी होते हुए भी सामग्री प्राप्त नहीं कर रहे थे। मगर कोरोना वायरस और बिगड़ते हालात हो देखते हुए जब उन्हे पता चला की सरकार द्वारा खाद्य सामग्री वितरण की जा रही है व उनके राशन कार्ड चालू है उन 29 परिवारों को कोविड–19 तथा उस समय के हालाता को देखते हुए मार्च 2020 में सामग्री वितरण की गई है। उक्त संबंध में भी अपीलान्ट द्वारा डीआरसी राशन वितरण रजिस्टर की प्रति पेश की है। जबकि अपीलान्ट द्वारा मौके पर दौराने जॉच अपने शपथ बयान दिनांक 11.04.2020 में कथन किया है कि–"मेरे द्वारा अबेयेन्स डीआरसी जो कि मेरी एफ.पी. एस. (उचित मूल्य दुकान) पर पिछले एक वर्ष से नहीं आ रहे है। उनके डीआरसी पर मेरे द्वारा उनको किसी प्रकार की सामग्री गेहूँ नहीं दिया गया है" जबकि ऑन लाईन रिकार्ड के अनुसार अपीलान्ट की पोश मशीन संख्या 30065 के द्वारा 29 डी.आर.सी. राशन कार्ड को गेहूँ वितरण किया जाना रिकार्ड से साबित है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा उक्त डीआरसी राशन वितरण रजिस्टर वक्त निरीक्षण/जॉच क्यों नहीं पेश किया गया, जिसके संबंध में अपीलान्ट द्वारा कोई सन्तोषजनक कारण नहीं बताया है, उक्त रिकार्ड अपीलान्ट द्वारा उक्त आरोप से बचने के लिए सोच विचार कर बाद में तैयार किया गया है जो विश्वसनीय नहीं है।

5(5)–हस्तगत प्रकरण के संबंध में अपीलान्ट के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध के संबंध में पुलिस थाना कुचेरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 51/2020 पेश की गई, जिसमें पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान नतीजा एफ.आर. संख्या 61 दिनांक 30.11.2020 अपीलान्ट के विरूद्ध मामला अदम वकु (गलत फहमी) में कता किया जाकर स्वीकृति हेतु पेश करने को लेकर वकील अपीलान्ट का कथन है। उक्त संबंध में प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) का कथन कि पुलिस द्वारा न्यायालय में मामला अदम वकु (गलत फहमी) में कता किया जाकर स्वीकृति हेतु करने का कथन सही है, परन्तु मा0 न्यायालय द्वारा उक्त एफ.आर. स्वीकृत की जा चुकी हो, के संबंध में वकील अपीलान्ट ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। पुलिस द्वारा एफ.आर. पेश कर देने मात्र के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी(अभियोजन) का उक्त कथन उचित है।

6–अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

7–निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:29:24 IST
Reason: SelfAttested